



भा.वा.अ.शि.प.—उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)
 डाकघर — आर०एफ०आर०सी०, मण्डला रोड, जबलपुर — 482 021
ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
 (An Autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests &
 Climate Change, Govt. of India)
 P.O. — R.F.R.C, Mandla Road, JABALPUR — 482 021 (M.P)



No. 1-13-2/22/Estt.-Ofice order/TFRI/JBP/ 135

Dated 25/4/2024

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित कार्मिकों की उनके नामों के समक्ष उल्लिखित प्रभाग/अनुभाग में तत्काल प्रभाव से अगामी आदेशों तक पदस्थापना की जाती है। समर्त कार्मिक पदभार ग्रहण संबंधी प्रतिवेदन प्रभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करने की कार्यवाही करेंगे —

| क्रम संख्या | कार्मिकों के नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | लिंक अधिकारी |
|-------------|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 1 | श्री आर.बी. मांझी, सी.टी.ओ | प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग | प्रभारी, वाहन अनुभाग एवं सेवा अनुभाग | श्री सैकत बैनर्जी, एस.टी.ओ. |
| 2 | श्री कंधी सिंह, सी.टी.ओ | वन संबंधन प्रभाग | प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग | श्री आर.बी. मांझी, सी.टी.ओ |
| 3 | डॉ. पी.के. राना, सी.टी.ओ | अनुवांशिकी प्रभाग | प्रभारी, क्य एवं भण्डार अनुभाग | श्री पी.एस. राजपूत, एस.टी.ओ. |
| 4 | श्री प्रमोद राजपूत, एस.टी.ओ. | प्रभारी, क्य एवं भण्डार अनुभाग अतिरिक्त — वन पारिस्थितिकी प्रभाग | सम्पत्ति अनुभाग (प्रभारी रेस्ट हाउस, हॉस्टल्स एवं सौदर्योकरण) अतिरिक्त प्रभार — वन पारिस्थितिकी प्रभाग | — |
| 5 | श्रीमती नीलू तकनीकी अधिकारी | सम्पत्ति अनुभाग | वाहन अनुभाग एवं सेवा अनुभाग | — |
| 6 | श्रीमती अल्का सिंह, तकनीकी सहायक | वन विस्तार प्रभाग | वन पारिस्थितिकीय प्रभाग | — |
| 7 | श्री एम.सी. बोरकर, तकनीशियन | वन सुरक्षा प्रभाग | वाहन अनुभाग | — |
| 8 | श्री कुंजी लाल पटेल, तकनीशियन | लेखानुभाग/वन संबंधन प्रभाग | वन संबंधन प्रभाग (सेन्ट्रल नर्सरी) | — |
| 9 | श्री ए.के. डागोर, अ.श्रे.लि. | वाहन अनुभाग | लेखानुभाग | — |
| 10 | श्री रविकांत साहू अ.श्रे.लि. | लेखानुभाग | समूह समंवयक (अनुसंधान) | — |

क्रमांक (1) को वन विस्तार प्रभाग में अतिरिक्त कार्य से मुक्त रखा जाता है तथा क्रमांक (2) से (4) के कार्मिकों को वर्तमान पदस्थापना के साथ ही अलग—अलग अनुभाग के प्रभारियों का कार्य अतिरिक्त रूप से आबंटित किया जाता है। इस कार्य हेतु इन्हे अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा है। यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

Dabhatra

उप वन संरक्षक (प्रशासन)
 भा.वा.अ.शि.प.—उ.व.अ.स., जबलपुर

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

01. संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित प्रभागाध्यक्ष।
02. डी.डी.ओ।
03. संबंधित कार्मिकों की व्यक्तिगत नस्ती।